कार्यालय अध्यक्ष क्रय समिति जिला एवं सेशन न्यायालय, प्रतापगढ़(राज0)

क्रमांकः—निविदा / 2023—24 / 501

दिनांकः— 05.12.2023

"सीमित निविदा सूचना"

सर्व साधारण को खास तौर पर नवीन फर्नीचर सप्लायर्स को सूचित किया जाता है कि इस न्यायक्षेत्र में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय हेतु वितीय वर्ष 2023—24 के लिए **नवीन सोफा सेट** की आवश्यकता हैं। जिसके क्रय हेतु राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 उपनियम 16 के अनुसार मोहरबंद निविदा फर्म के लेटरपेड के साथ संलग्न स्पेसिफिकेशन के अनुसार तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र में दरें आमंत्रित की जाती हैं। निविदाएं दि. **16.12.2023 को 01.00 बजे** तक स्वीकार की जावेगी एवं उसी दिन 03.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष गठित कमेटी द्वारा खोली जावेगी :—

S.N.	ITEM	Specification	Quantity	Budget Amount
1	**सोफा सेट मय सेन्टर टेबल**	Made of Sagwan/ CP Sagwan Wood & Other one is with Three Sitter Facility and Two Saprate Sofa of one Sit with Centre Table	**01**	**30,000**

निविदा की शर्तें—

1. निविदा में दी गई दरे वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिए GST सहित FOR जिला न्यायालय प्रतापगढ़ होनी आवश्यक हैं। कर की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
2. किसी भी न्यूनतम दर या सम्पूर्ण निविदा को स्वीकार / अस्वीकार करने का एवं निविदा में दी गई राशि को कम / अधिक करने का पूर्ण अधिकार कमेटी को रहेगा।
3. सामग्री उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए।
4. नवीन फर्नीचर सोफा सेट मय सेन्टर टेबल के क्रय आदेश के अनुसार बिल की पृथक रूप से दो प्रतियों में बैंक खाता संख्या, IFSC Code. सहित प्रस्तुत करनी होगी।
5. मोहरबंद निविदा प्रस्तुत करते समय नवीन फर्नीचर सामग्री के फोटो / नमूने प्रस्तुत किये जाने होंगे।
6. निविदा प्रपत्र कार्यालय अथवा वेबसाइट से डाउनलोड कर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र अलग—अलग बंद लिफाफें में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

अध्यक्ष
क्रय समिति,
जिला एवं सेशन न्यायालय,
प्रतापगढ़(राज0)

क्रमांकः—निविदा / 2023—24 / 502-505

दिनांक :— 05.12.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैं :—

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय,प्रतापगढ़ (राज.)
2. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, प्रतापगढ़(राज0)3. आम चौराहा प्रतापगढ
3. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, प्रतापगढ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अध्यक्ष
क्रय समिति,
जिला एवं सेशन न्यायालय,
प्रतापगढ़(राज0)

कार्यालय अध्यक्ष क्रय समिति जिला एवं सेशन न्यायालय, प्रतापगढ़(राज0)

निविदा प्रपत्र (फर्नीचर आपूर्ति हेतु)

1. निविदादाता / फर्म का नाम मय पता	
2. फोन / मोबाईल नम्बर	
3. निविदा जिसके लिए दी गई	Purchase of Furniture **SOFA SET WITH CENTRE TABLE**
4. पेन नम्बर	
5. जीएसटी नम्बर	
6. एम.एस.एम.ई. पंजीयन क्रमांक	
7. निविदा की अनुमानित राशि	कुल 30,000 / —
9. निविदा प्रपत्र भेजने की अन्तिम दिनांक	16.12.2023
10. निविदा प्रस्ताव प्राप्ति की दिनांक	16.12.2023 को 1.00 बजे तक
11. निविदा प्रस्ताव खोलने की दिनांक	16.12.2023 को को 3.00 बजे

मैं / हम अध्यक्ष क्रय समिति, जिला एवं सेशन न्यायालय, प्रतापगढ़ द्वारा जारी की गई सीमित निविदा में वर्णित सभी शर्तो तथा संलग्न शीट में दी गई सूचना के अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लिखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किया जाने के प्रमाण—पत्र में हमने हस्ताक्षर कर दिया है)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम...

कार्यालय अध्यक्ष क्रय समिति जिला एवं सेशन न्यायालय, प्रतापगढ़(राज0)

निविदा दर प्रपत्र(फर्नीचर आपूर्ति हेतु)

S.N.	ITEM	Specification	Rate per item in RS. (Inclued all taxes)
1	Sofa Set With Centre Table	Made of Sagwan/ CP Sagwan Wood & Other one is with Three Sitter Facility and Two Saprate Sofa of one Sit With Centre Table	

NOTE :-दरें शब्दों एवं अंकों दोनो में प्रस्तुत करें। ओवरराइटिंग एवं कटिंग पर लघुहस्ताक्षर जरूर करें।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय फर्म की सील

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके मैं/हम वास्तविक व्यापार कर्त्ता/अधिकृत थोक विक्रेता एवं उत्पादनकर्त्ता हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम...

कार्यालय : अध्यक्ष क्रय समिति जिला एवं सेशन न्यायालय, प्रतापगढ़ (राज.)

–: निविदा हेतु सामान्य शर्ते :–

1. सशर्त कोटेशन मान्य नहीं होगा।
2. कोटेशन सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत किया जावें, जिस पर **"फर्नीचर सोफा सेट आपूर्ति हेतु कोटेशन"** स्पष्ट अंकित करना होगा।
3. कोटेशन आमंत्रण सुचना में वर्णित श्रेणी के सद्भावी व्यापारियों के द्वारा ही कोटेशन प्रस्तुत किये जावें।
4. दरें समस्त प्रकार के करों एवं एफ ओ आर को सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत की जावें।
5. क्रय समिति द्वारा सामग्री की गुणवत्ता के आधार पर निर्णय किया जावेगा। अर्थात क्रय का निर्णय पुर्णतया सामग्री की गुणवत्ता एवं टिकाउपन पर आधारित होगा। यदि न्युनतम दर दाता की सामग्री अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी तो क्रय समिति न्युनतम कर को स्वीकृत करने हेतु बाध्य नहीं होगी।
6. सामग्री की आपूर्ति न्यायालय परिसर भवन तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के आदेशानुसार आदेश देने की दिनांक से दस दिवस के भीतर करनी होगी। इसके लिये पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
7. आपूर्ति की जाने वाली समस्त सामग्री कोटेशन प्रपत्र में दिये गये विवरणानुसार तथा उच्च क्वालिटी की होना आवश्यक है।
8. कोटेशन स्याही या बालपेन या टंकन से ही भरी जावें। पेंसिल से भरी हुई निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। यथा संभव ओवर राईटिंग/कटिंग नहीं करें। ओवर राईटिंग/कटिंग पर लघु हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करें।
9. कोटेशनदाता को यह भी गारण्टी देनी होगी की सुपुर्दगी तिथि से 3 वर्ष तक की अवधि के लिए यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुसार सामग्री बनी रहेगी। गारण्टी अवधि में सामग्री बदलने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।
10. आपूर्ति की गई सामग्री के खराब पाये जाने अथवा टुट–फुट इत्यादि पाये जाने पर सामग्री बदलने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।
11. सामग्री की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम दरों पर कोटेशन स्वीकार करने हेतु अधोस्ताक्षरकर्ता बाध्य नहीं है। दरों का निर्णय कार्यालय की आवश्यकतानुसार समिति द्वारा किया जावेगा।
12. कोटेशन या कोटेशन के किसी भाग को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
13. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम/जी.एफ.एण्ड आर. के प्रावधान कोटेशनों हेतु यथा आवश्यक लागू होगे।
14. सामग्री की मात्रा घटाई / बढ़ाई जा सकती है अथवा किसी सामग्री को क्रय करने या ना करने के संबंध में क्रय समिति को पूर्ण अधिकार होगा।
15. सफल कोटेशनदाता को वर्णित वस्तुओं की आपूर्ति सप्लाई आदेश में निर्धारित अवधि 10 दिवस के भीतर करनी होगी। आपूर्ति में देरी होने पर नियमानुसार पेनल्टी लगाई जावेगी अथवा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
16. कोटेशनदाता को संबंधित सामग्री के फोटो केटलॉग प्रस्तुत करना होगा । क्रय समिति द्वारा सामग्री के भौतिक सत्यापन के उपरान्त क्रय बाबत् निर्णय लिया जावेगा।
17. कोटेशनदाता को निविदा खोलने की दिनांक को सामग्री का नमूना स्वयं के खर्चे पर कमेटी को लाकर दिखाना होगा।
18. नियमानुसार आयकर काटा जावेगा इस हेतु कोटेशनदाता को कोटेशन पत्र के साथ पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
19. राजकीय भुगतान ऑनलाईन होने के कारण संबंधित फर्म का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना आवश्यक है। अतः बैंक खाते की पासबुक की प्रति कोटेशन के साथ संलग्न करे।
20. समस्त विवादों का न्यायक्षैत्र प्रतापगढ़ रहेगा।

अध्यक्ष क्रय समिति,
जिला एवं सेशन न्यायालय,
प्रतापगढ़ (राज.)